हरियाणा सरकार को NGT का नोटिस

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राजस्थान और हरियाणा सरकारों को अपने 9 दिसंबर 2022 के फैसले का पालन करने के लिये नोटिस जारी किया है।

- न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों को **गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह (हरियाणा) और अलवर (राजस्थान)** में संरक्षित **अरावली भूमि से अवैध निर्माण को हटाने** के लिये एक **निगरानी समिति गठित करने और समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया।**

मुख्य बिंदु

- **2022 के निर्णय का अनुपालन:**
  - इन ज़मीनों को **'गैर मुमकिन पहाड़' (अनुपयुक्त पहाड़ी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है,** जहाँ **निर्माण प्रतिबंधित है।**
  - स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, **राज्यों ने कोई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की** न ही आवश्यक कार्रवाई की।
- **मामले की पृष्ठभूमि:**
  - कार्यकर्त्ताओं ने मूल रूप से **अरावली भूमि पर अतिक्रमण को उजागर करते हुए याचिका दायर की थी।**
  - यह मामला एक दशक से अधिक समय से NGT की जाँच के अधीन है, जिसमें **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की 7 मई 1992 की** अधिसूचना के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।
  - न्यायाधिकरण ने दिसंबर 2022 का फैसला जारी करने से पहले **10 वर्षों से अधिक समय तक इस मामले की निगरानी की थी।**
- **NGT का 2022 का निर्णय और निर्देश:**
  - NGT ने कहा था कि **अतिक्रमणकारियों की पहचान कर ली गई है** और दोनों राज्यों ने एक निगरानी तंत्र गठित कर लिया है।
  - **दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को** तिमाही समीक्षा के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया।
  - पीड़ित पक्षों को किसी भी उल्लंघन के लिये **कानूनी उपाय अपनाने की अनुमति दी गई।**
- **अवैध निर्माण की सीमा:**
  - **वन विभाग के सर्वेक्षण से** पता चला है कि **गुरुग्राम में अरावली की भूमि पर कम-से-कम 500 अवैध फार्महाउस बनाए गए हैं।**
    - ये ग्वालपहाड़ी, अभयपुर, गैरतपुर बास, सोहना, रायसीना और मानेसर जैसे क्षेत्रों में स्थापित थे।

अरावली पर्वतमाला

- अरावली, **पृथ्वी पर सबसे पुराना** [वलित पर्वत](#) **है।** भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह तीन अरब साल पुराना है।
- यह **गुजरात से दिल्ली** (राजस्थान और हरियाणा से होकर) तक 800 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है।
- अरावली पर्वतमाला की सबसे **ऊँची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है।**
- **जलवायु पर प्रभाव:**
  - अरावली पर्वतमाला का उत्तर-पश्चिम भारत और उससे आगे की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है।
  - मानसून के दौरान, पर्वत शृंखला मानसून के बादलों को धीरे-धीरे पूर्व की ओर शिमला और नैनीताल की ओर ले जाती है, जिससे **उप-हिमालयी नदियों को पोषण मिलता है तथा उत्तर भारतीय मैदानों को पोषण मिलता है।**
  - सर्दियों के महीनों के दौरान, यह **सिंधु और गंगा की उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली** कठोर ठंडी पश्चिमी हवाओं से बचाता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- **मुख्यालय: नई दिल्ली (मुख्यालय)**, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
  - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
  - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है **(निर्णय बाध्यकारी हैं)**
- **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ngt-notice-to-haryana-government